न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/644

1. इस्माईल पुत्र अलीबक्स आयु 73 वर्ष, जाति मुसलमान सिक्का भिस्ती निवासी झुन्झुनूं बाईपास, बगिया होटल के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर राज0।

– अपीलान्ट

बनाम

1. सत्तार पुत्र मजीद जाति मुसलमान सिक्का भिस्ती निवासी इस्लामियां स्कूल के पास, सीकर जिला सीकर।
2. सुभाष चन्द भूरिया पुत्र जगदीश भूरिया जाति जाट निवासी भूरियों का बास तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर मुख्तयार
3. तहसीलदार तहसील सीकर, जिला सीकर।
4. नगर विकास न्यास सीकर जरिये सचिव।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार, सीकर निर्णय दिनांक 12.05.2023 में पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री अराफत हुसैन, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 बाद तामील अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 23.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, सीकर के निर्णय दिनांक 12.05.2023 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 26.12.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सत्तार के मुख्तयार आम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुभाष चन्द भूरिया पुत्र जगदीश भूरिया ने हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 4 नगर विकास न्यास सीकर जरिये सचिव के कार्यालय में आवेदन सीमाज्ञान करवाये हेतु प्रस्तुत किया गया। हाल रेस्पोडेन्ट नं. 4 नगर विकास न्यास सीकर ने उपरोक्त आवेदन को तहसीलदार सीकर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को दिनांक 09.05.2023 को प्रेषित कर दिया। तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2023 द्वारा पटवारी हल्का को मौके की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश पारित किये गये हैं।
3. तहसीलदार, सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 12.05.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट इस्माईल पुत्र अलीबक्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2023, सीमाज्ञान आदेश व उसके अनुसरण में की गयी कार्यवाही को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि चुनौतिग्रस्त आदेश व उसके अनुसरण में की गयी कार्यवाही विधि विरुद्ध व विरूद्ध पत्रावली होने के कारण अपास्त होने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अस्पष्ट है इस कारण लैण्ड रिकार्ड अधिकारी अर्थात् उपखण्ड अधिकारी को होते है। एल.आर एक्ट की धारा 111 के तहत जहां सीमा विवाद होता है वहां उपखण्ड अधिकारी को ही सीमाज्ञान करवाने का अधिकार है तथा तहसीलदार को अधिकार नही होता है, इसलिए सीमाज्ञान करवाने का आदेश तहसीलदार सीकर रेस्पो० सं. 3 द्वारा पारित किया हुआ होने के कारण अपास्त होने योग्य है। रेस्पो० सं० 1 के मुख्तयार रेस्पो० नं0 2 ने सीमाज्ञान आवेदन रेस्पो० सं0 4 के कार्यालय में पेश किया जिसे विधि विरूद्ध रूप से रेस्पो० सं० 3 तहसीलदार सीकर को कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया। तहसीलदार सीकर धारा 111 एलआर एक्ट सीमाज्ञान की कार्यवाही हेतु अधिकृत नही था इसलिए सीमाज्ञान आदेश अनाधिकृत होने से अपास्त होने योग्य है। रेस्पो० सं०1 की खातेदारी में 0.38 हैक्टर भूमि खसरा नं0 217 ग्राम शिवसिंहपुरा में पहले अवस्थित थी। उक्त भूमि मे से रेस्पो० नं0 1 ने 0.11 हैक्टर भूमि दिनांक 10.06.1996 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र रणवीरसिंह को तथा 0.11 हैक्टर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र लक्ष्मीदेवी को विक्रय कर दी तथा इनके नाम नामान्तकरण होकर जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 मे दर्ज हो गयी इसके बाद रेस्पो० नं0 1 ने दिनांक 05.09.1999 को 0.0933 हैक्टर भूमि चुन्नीलाल पुत्र उदाराम व 0.0933 हैक्टर भूमि गंगाबक्स पुत्र चुन्नीलाल को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर दी। इस प्रकार रेस्पो० नं0 1 ने अपने हिस्सा 0.38 हैक्टर से भी 0.026 हैक्टर ज्यादा भूमि विक्रय कर दी तथा कोई भूमि मौके पर शेष नहीं बची। सत्तार रेस्पो० नं0 1 द्वारा चुन्नीलाल व गंगाबक्स को 0.0933 हैक्टर, 0.0933 हैक्टर भूमि प्लॉटों के रूप मे विक्रय कर देने के कारण इनका नामान्तकरण नही हो सका तथा रेस्पो० सं० 1 के खातेदारी में 0.16 हैक्टर भूमि जमाबंदी सम्वत् 2067—70, 2071—74 में दर्ज रही जबकि वास्तव में वह अपनी सारी भूमि विक्रय कर चुका था।

ग्राम शिवसिंहपुरा की भूमि खसरा नं0 217 के बंटवारा का वाद मु०नं० 90/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर मे उनवानी सुखदेव बनाम राजेश आदि प्रस्तुत किया था, जिसमें उक्त सत्तार रेस्पो० सं० 1 बतौर प्रतिवादी नं0 27 पक्षकार था। उक्त वाद मे वाद पत्र के पैरा नं0 7 में यह स्पष्ट अभिकथन था कि "सत्तार ने जमाबंदी दर्ज अपने सम्पूर्ण हिस्से की 0.1600 हैक्टर भूमि छोटे छोटे भूखण्डों मे विक्रय कर दी थी, किन्तु नामान्तकरण न खोले जाने से इसका नाम जमाबंदी में अंकित होने के कारण उसे पक्षकार बनाया गया। उक्त वाद मे सत्तार की हिस्से की भूमि को प्लॉट नं0 11 व 13 के रूप में विभाजन प्रस्ताव में दर्शाया है तथा अपीलाण्ट की भूमि को प्लॉट नं0 14 के रूप में दर्शाया। प्लॉट नं0 11 की भूमि के खसरा नं0 647/217 तथा प्लॉट नं0 13 की भूमि के खसरा नं0 649/217 व 656/217 है। चुन्नीलाल ने अपनी भूमि 0.0933 हैक्टर दिनांक 02.03.2002 को मखनलाल जांगिड को तथा गंगाबक्स ने महेश कुमार को व महेश कुमार ने मुन्नीदेवी पत्नी ताराचन्द व ताराचन्द पुत्र जगदीशप्रसाद को विक्रय कर दी तथा उक्त मुन्नीदेवी व ताराचन्द मौके पर काबिज है। इस प्रकार सत्तार की खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि पर उक्त क्रेतागण काबिज है तथा मौके पर कोई भूमि सत्तार के कब्जे में नहीं है इसलिए रेस्पो० नं01 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने का कोई अधिकार नहीं होने के कारण आदेश अपास्त होने योग्य है। रेस्पो० नं0 1 द्वारा विक्रय की गयी भूमि के दक्षिण में अपीलाण्ट की भूमि खसरा नं0 650/217 व 657/217 है, जिस भूमि पर अपीलाण्ट ने उत्तरी ओर आवासीय मकानात बना रखे है तथा मय परिवार आवाद है तथा मकानों के दक्षिण मे अपीलाण्ट के पुत्र सिराज ने पत्थर की पट्टीयों का बाडा बना रखा है तथा व्यापार कर रहा है। अपीलाण्ट की भूमि को हडपने के लिए गलत आवेदन जमाबंदी में दर्ज आधारहीन प्रविष्टी के आधार पर प्रस्तुत करके आदेश प्राप्त किया है जो अपास्त होने योग्य है।

रेस्पो० नं० 1 को अपीलाण्ट की भूमि खसरा नं0 650/217 व 657/217 का सीमाज्ञान करवाने का कोई अधिकार नही था इसलिए आदेश अपास्त होने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

धारा 90 ए एल.आर.एक्ट की कार्यवाही से पूर्व खसरा नं0 649/217 मे अन्य सहखातेदार रूस्तम, मुन्ना पुत्रगण मजीद थे जिनको पक्षकार बनाये बिना आवेदन प्रस्तुत किया तथा खसरा नं0 650/217 व 657/217 के खातेदार अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए आदेश अपास्त होने योग्य है। रेस्पो० सं०1 ने सीमाज्ञान आवेदन में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया तथा अपीलान्ट की भूमि के सीमाज्ञान के बाबत् कार्यवाही करवायी जो अपास्त होने योग्य है। सीमाज्ञान कार्यवाही में अपीलान्ट की भूमि को सम्मिलित करने मे काफी अपीलाण्ट का हित है। इसलिए अपीलाण्ट सीमाज्ञान आदेश व इसकी कार्यवाही से पीडित है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु धारा 96 सीपीसी के तहत अलग से आवेदन प्रस्तुत करके अपील प्रस्तुत कर रहा है। सीमाज्ञान के अवैध आदेश के अनुसरण में की गयी सुपर इम्पोज की कार्यवाही अपास्त होने योग्य है। रेस्पो० नं01 ने अपने मुख्तयार रेस्पो० नं० 2 के माध्यम से अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना बाला बाला कार्यवाही की है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व मे नहीं हो सकी। अपीलाण्ट को रेस्पो० नं0 1 व 2 ने धमकी देकर कहा कि सीमाज्ञान करवाकर बेदखल करेगें। तब अपीलाण्ट ने नकले निकलवाई तथा सीमाज्ञान के आदेश की जानकारी दिनांक 25.10.2023 को हुई तथा दिनांक 15.12.2023 को डीजीपीएस मशीन से की गयी कार्यवाही व सुपर इम्पोज फर्द मौका की रिपोर्ट की नकल लेने पर पूर्ण जानकारी हुई। जानकारी के हिसाब से अपील अन्दर मियाद है फिर भी आवेदन अन्तर्गत धारा 5 मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित सीमाज्ञान आदेश व उसके अनुसरण में की गयी कार्यवाही को अपास्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सत्तार के मुख्तयार आम हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुभाष चन्द भूरिया पुत्र जगदीश भूरिया ने हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 4 नगर विकास न्यास सीकर जरिये सचिव के कार्यालय में आवेदन सीमाज्ञान करवाये हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम शिवसिंहपुरा खसरा नं. 647/217 रकबा 0.0360 है0, खसरा नं. 649/रकबा 0.2040 है0, खसरा नं. 656/217 रकबा 0.0556 है0 का खातेदार सत्तार उर्फ अब्दुल सत्तार पुत्र मजीद जाति मुसलमान के नाम से दर्ज था जिसको जरिये रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम से मेरे नाम (सुभाषचन्द्र भूरिया) पुत्र जगदीश प्रसाद भूरिया जाति जाट निवासी भूरीयों का बास तहसील लक्ष्मणगढ को मुख्त्यार आम नियुक्त कर हक व अधिकार प्रदत्त किया हुआ है। उपर्युक्त सभी खसरा नम्बरान का वर्तमान में सुओमोटो 90ए किया जाकर खातेदारी नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हो चुकी है। जिनका सीमाज्ञान कराने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 4 नगर विकास न्यास सीकर ने उपरोक्त आवेदन को तहसीलदार सीकर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को दिनांक 09.05.2023 को प्रेषित कर दिया। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 12.05.2023 द्वारा पटवारी हल्का को मौके की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश पारित किये गये हैं।

उक्त आवेदन पर विवादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में तहसीलदार सीकर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दिनांक 16.05.2023 में अंकित किया गया है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम शिवसिंहपुरा के ख.नं. नं. 647/217 रकबा 0.0360 है0, खसरा नं. 649/रकबा 0.2040 है0, खसरा नं. 656/217 रकवा 0.0556 है0 का खातेदार सत्तार उर्फ अब्दुल सत्तार पुत्र मजीद जाति मुसलमान जरिये पंजीवद्ध मुख्त्यार आम सुभाष चन्द भूरिया पुत्र जगदीश प्रसाद भूरिया जाति जाट निवासी भूरियों का बास तहसील लक्ष्मणगढ सीमाज्ञान करवाना चाहते है। उपर्युक्त सभी खसरा नम्बरान वर्तमान में 90ए की कार्यवाही के अन्तर्गत नगर विकास न्यास सीकर के खाते में दर्ज है। 90ए की कार्यवाही से पूर्व दर्ज सभी खातेदारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। नगर विकास न्यास सीकर द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

भी सीमाज्ञान के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिये गये हैं। मौके पर उक्त ख.नं. के आस–पास आबादी बसी हुई है। जहां परम्परागत विधि चैन/जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों में यदि सीमाज्ञान की अति–आवश्यकता है। तो उक्त ख.न. का सीमाज्ञान तकनीकी विधि (E.T.S., D.G.P.S.) से भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्व विभाग, नगर विकास न्यास सीकर की टीम गठित कर पुलिस विभाग की मौजूदगी में करवाया जाना अपेक्षित होगा।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सीकर द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास सीकर को पत्र क्रमांकः भू.अ./2023/523 दिनांक 18.05.2023 द्वारा लिखा गया। जिला कलक्टर सीकर ने पत्र क्रमांकः भू.अ./2023/4470–72 दिनांक 21.07.2023 द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर को तहसीलदार सीकर से सामंजस्य स्थापित कर प्रकरण में शुल्क जमा करवाते हुए नियमानुसार सीमाज्ञान तथा सीमाचिन्ह स्थापित करने हेतु लिखा गया एवं तहसीलदार सीकर को प्रेषित कर निर्देश दिये गये भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर से सामंजस्य स्थापित कर नियमानुसार शुल्क जमा करवाते हुए सीमाज्ञान कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराने तथा शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही हेतु लिखा गया। भू प्रबन्ध अधिकारी, सीकर के कार्यालय आदेश राजकाज रेफ.नम्बर 5145412 दिनांक 07.12.2023 द्वारा उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 12.12.2023 को करने हेतु तहसीलदार सीकर व उसकी राजस्व टीम गठित की गयी। तहसीलदार सीकर व उसकी गठित राजस्व टीम वसंयुक्त टीम द्वारा दिनांक 12.12.2023 को ख.नं. 649/217, 650/217, 636/217 व 657/217 के मौके पर पहुंचकर नगर सुधार न्यास के प्रतिनिधि तथा राजस्व विभाग एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मय पुलिस जाब्ता उद्योग नगर थाना सीकर की मौजूदगी में निशानदेही (D.G.P.S.मशीन) द्वारा करवायी गयी। जो सुपर इम्पोज के अनुसार है। सुपर इम्पोज नक्शा फर्द मौका का भाग रखने एवं फर्द मौका पढकर सुनायी गई तथा उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरानें बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने निर्णय दिनांक 12.05.2023 पारित किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की पूर्ण जानकारी दिनांक 15.12.2023 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उभयपक्षों में मुख्य विवाद तहसीलदार सीकर, के आदेश क्रमांक भू.अ./23/1799 दिनांक 12.05.2023 बावत् सीमाज्ञान एवं तदन्तर्गत बनायी गयी फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान

दिनांक 11.10.2023 को लेकर है। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सत्तार के मुख्तयार आम हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुभाष चन्द भूरिया पुत्र जगदीश भूरिया ने हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 4 नगर विकास न्यास सीकर जरिये सचिव के कार्यालय में आवेदन सीमाज्ञान करवाने हेतु पेश किया गया। हाल रेस्पोडेन्ट नं. 4 नगर विकास न्यास सीकर ने उपरोक्त आवेदन को तहसीलदार सीकर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को दिनांक 09.05.2023 को प्रेषित कर दिया गया। तहसीलदार सीकर ने आदेश दिनांक 12.05.2023 द्वारा पटवारी हल्का को मौके की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त आवेदन पर विवादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में तहसीलदार सीकर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दिनांक 16.05.2023 में अंकित किया गया है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम शिवसिंहपुरा के ख.नं. नं. 647/217 रकबा 0.0360 है0, खसरा नं. 649/रकबा 0.2040 है0, खसरा नं. 656/217 रकबा 0.0556 है0 का खातेदार सत्तार उर्फ अब्दुल सत्तार पुत्र मजीद जाति मुसलमान जरिये पंजीबद्ध मुख्त्यार आम सुभाष चन्द भूरिया पुत्र जगदीश प्रसाद भूरिया जाति जाट निवासी भूरियों का बास तहसील लक्ष्मणगढ सीमाज्ञान करवाना चाहते है। मौके पर उक्त ख.नं. के आस–पास आबादी बसी हुई है। जहां परम्परागत विधि चैन/जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों में यदि सीमाज्ञान की अति–आवश्यकता है। तो उक्त ख.न. का सीमाज्ञान तकनीकी विधि (E.T.S., D.G.P.S.) से भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्व विभाग, नगर विकास न्यास सीकर की टीम गठित कर पुलिस विभाग की मौजूदगी में करवाया जाना अपेक्षित होगा। उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सीकर द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास सीकर को पत्र क्रमांकः भू.अ./2023/523 दिनांक 18.05.2023 द्वारा लिखा गया। जिला कलक्टर सीकर ने पत्र क्रमांकः भू.अ./2023/4470–72 दिनांक 21.07.2023 द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर को तहसीलदार सीकर से सामंजस्य स्थापित कर प्रकरण में शुल्क जमा करवाते हुए नियमानुसार सीमाज्ञान तथा सीमाचिन्ह स्थापित करने हेतु लिखा गया एवं तहसीलदार सीकर को प्रेषित कर निर्देश दिये गये कि भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर से सामंजस्य स्थापित कर नियमानुसार शुल्क जमा करवाते हुए सीमाज्ञान कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराने तथा शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जावे। भू प्रबन्ध अधिकारी, सीकर के कार्यालय आदेश राजकाज रेफ0 नम्बर 5145412 दिनांक 07.12.2023 द्वारा उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 12.12.2023 को करने हेतु तहसीलदार सीकर व उसकी गठित राजस्व टीम गठित की गयी। तहसीलदार सीकर व उसकी गठित राजस्व टीम द्वारा संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 12.12.2023 को ख.नं. 649/217, 650/217, 636/217 व 657/217 के मौके पर पहुंचकर नगर सुधार न्यास के प्रतिनिधि तथा राजस्व विभाग एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मय पुलिस जाब्ता उद्योग नगर थाना सीकर की मौजूदगी में निशानदेही (D.G.P.S. मशीन) द्वारा करवायी गयी। जो सुपर इम्पोज के अनुसार है। सुपर इम्पोज नक्शा फर्द मौका का भाग रखने एवं फर्द मौका पढकर सुनायी गई तथा उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित किया है कि खेतों की सीमा विवाद तय करने का अधिकार केवल मात्र लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर अर्थात एस.डी.ओ. को ही है, भू–राजस्व अधिनियम में सीमाज्ञान करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदन पेश करने पर आवेदन के सम्बंध में हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली जाकर नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राशि जमा की जाकर सीमाज्ञान आदेश पारित किया है। सीमाज्ञान आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को ही है। यदि सीमाज्ञान को लेकर कोई विवाद की स्थिति है तो सम्बंधित पक्ष भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रावधानों के अनुरूप विवाद समाधान/पत्थरगढ़ी हेतु सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतिग्रस्त आदेश विधिवत रूप से पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.05.2023 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर